रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082023-247999
CG-DL-E-10082023-247999

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3426] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 2023/श्रावण 19, 1945
No. 3426] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10 , 2023/SHRAVANA 19, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2023

का.आ. 3580(अ).—केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड(46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'चंडीगढ भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़ (पैनः-AAALC0595J)', प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ द्वार गठित एक बोर्ड, उस बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) और इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के तहत एकत्रित उपकर की आय;

(ख) भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 28) और इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के तहत भुगतान किया गया अंशदान और पंजीकरण शुल्क; और

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित के अध्यधीन प्रभावी होगी कि चंडीगढ भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड, चंडीगढ़:-

(क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में लिप्त नहीं होगा;

(ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलापों तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी फाइल करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2021-2022 से 2023-2024 के लिए लागू की गई मानी जाएगी और वित्तीय वर्षों क्रमश: 2020-2021 से 2022-2023 तक के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 59 /2023 फा.सं. 300196/17/2020-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-I)

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2023

S.O. 3580(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Chandigarh Building and Other Construction Workers Welfare Board, Chandigarh'(PAN AALC0595J), a Board constituted by the Administrator, Union territory, Chandigarh, in respect of the following specified income arising to the said Board, as follows:

(a) Proceeds of the Cess collected under the Building & Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996 (28 of 1996) and rules made thereunder;

(b) Contribution and registration fees paid by the Beneficiaries under the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 and rules made thereunder; and

(c) Interest earned on (a) & (b) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Chandigarh Building and Other Construction Workers Welfare Board, Chandigarh -

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2021-2022 to 2023-2024 relevant for the financial years 2020-2021 to 2022-2023 respectively.

[Notification No. 59 /2023 F. No. 300196/17/2020-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director (ITA-I)

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.10 19:42:30 +05'30'